तारीख पेशी	बनाम 245/00041 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.09.18	**मूकना बनाम बाबू वगैरह (2015/00041)** मत्रावली वास्ते आदेश अपील हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपील दिनांक 07.09.2018 को बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1869/2882 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.83 है0, खसरा नम्बर 1869/3035 रकबा 0.08 है0 का अधिकार अभिलेख में अमलदरामद हो गया किन्तु हाल खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 है0 का प्रार्थी एवं प्रर्फोमा अप्रार्थीगण के नाम उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में अधिकार अभिलेख में अमलदरामद नहीं होने के कारण उपरोक्त वाद वास्ते उद्घोषण खातेदारी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा को प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना हैं जिसकी क्षतिपूर्ति का किया जाना संभव नही होगा। जिसकी रोक हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायचित एवं आवश्यक हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित हाल खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 है0 को ताफैसला अपील रहन, बेचान एवं मुन्तकिल नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया कि आराजी मुतनाजा का मूल वाद के निस्तारण तक बेचान/रहन/हस्तातंरण नहीं करें, राजस्व रेकार्ड की स्थिति यथावत् रखें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत नहीं होतें हुए भी स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 है0 वाकै ग्राम भीपुरा तहसील नसीराबाद वर्तमान जमाबंद सम्वत 2064 से 2067 में राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के नाम अंकित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का यह कहना कि उक्त आराजी हमने जरिये विक्रय पत्र से खरीद की हैं जो भूमि उनके द्वारा क्रय की गई उसका का तो राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हो गया किन्तु उक्त खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 है0 का राजस्व अभिलेख में नहीं किया गया, जो गलत हैं। उक्त आराजी से रेस्पोडेन्ट का कोई लेना–देना नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने एक संयुक्त रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद किया है जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य हैं।	

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.04.2015 को अपास्त किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में 2006 आर.आर.टी.(2) पेज 1410, 2007 आर.बी.जे. पेज 387, 2006 आर.आर.टी. (1)पेज 623 के न्यायिक दृष्टांत पेश कियें।	

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया विवादित आराजी वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 के अनुसार अपीलांट के नाम संयुक्त राजस्व रेकार्ड में अंकित है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 है0 वाकै ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 अनुसार अपीलांट की संयुक्त खातेदार काश्तकार की हैं। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत नजीर 2006 आर.आर.टी.(2) पेज़ 1410 से सहमत हैं कि एक रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जो विधि सम्मत नहीं हैं इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य हैं।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 23.04.2015 को निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर